कार्यकारी सार

हमने मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवा कर नियमों और विनियमों की पर्याप्तता और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणाली से संबंधित आश्वासन पाने के लिये, मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रत्येक कमिश्नरी में एक डिविजन और एक रेंज और 307 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जांच सहित 17 चयनित कमिश्निरियों में की गई थी। लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2015-16 की तीन वर्ष की अवधि कवर की गई।

लेखापरीक्षा से मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ प्रणालीगत कमियों में कुछ अपर्याप्तता का पता चला, जिसका सार नीचे दिया गया है:-

क. रंगमंचीय अधिकारों को एक साथ मिलाने के कारण करयोग्य वाणिज्यिक गतिविधियां कराधान से बच जाती हैं, जो करार के माध्यम से इन सबको एक साथ मिलाकर मानने के कारण केवल रंगमंचीय अधिकारों के प्रति करयोग्य गैर-रंगमंचीय अधिकारों/अन्य गतिविधियों के साथ करमुक्त हैं।

(पैराग्राफ 2.3)

ख. कॉपीराइट जो सीमाओं सहित स्थानांतरित की गई हो को निरंतर स्थानांतरित के रूप में माना गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5.1)

ग. कलाकारों/निर्माताओं के उदाहरण थे जिन्होंने गैर-करयोग्य क्षेत्र में नियोजित स्थान और सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिये विदेशी संस्थाओं के साथ करार किया और इससे भारत के बाहर सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुये निर्यात के रूप में माना गया था।

(पैराग्राफ 2.6.1)

घ. प्रायोजिकता सेवाओं के अंतर्गत ₹ 14.71 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

(पैराग्राफ 2.7)

ङ. आयकर, कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) आदि जैसे अन्य डाटाबेस सहित विभाग से प्राप्त सेवा कर डाटा के प्रति-सत्यापन से करयोग्य सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के गैर-पंजीकरण के मामलों का पता चला, जिसमें ₹ 10 लाख (सेवा कर के लिय सीमा) से अधिक करयोग्य सेवा प्रदान करने वाला निर्धारिती और सेवा कर के अंतर्गत आय को कम बताने के मामले भी शामिल थे।

(पैराग्राफ 3.1)

च. रिटर्न फाइल करने की मॉनीटरिंग, रिटर्न की संवीक्षा की क्षमता में कमियों, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों और कारण बताओं नोटिस और न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में समस्या के मामले थे।

(अध्याय 3)

छ. निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन न करने के 156 मामले थे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर/ब्याज/स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान हुआ, सेनवेट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ हुआ और ₹ 48.13 करोड़ के राजस्व से जुड़ी सेवाओं के निर्यात का अनुचित दावा किया गया।

(अध्याय 4)

सिफारिशों का सार

1. चूंकि निर्धारिती अधिकारों के हस्तांतरण के लिए करार की ड्राफ्टिंग करते समय 'अभिनेयता' और 'गैर-अभिनेयता' की परिभाषा में अस्पष्टता के कारण अनुचित लाभ उठा रहे हैं अत: इन परिभाषाओं में वैधानिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।

2. व्याख्याओं के अवांछित लाभ से बचने के लिए और निर्यात लाभ देने में विधान के अभिप्राय को सुरक्षित करने के लिए सेवा नियमों के प्रावधान को सेवा विशिष्ट मामलों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।

3. मनोरंजन क्षेत्र में प्रायोजक सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के लिए उपलब्ध प्रावधानों में मौजूदा अस्पष्टता को नियमों में प्रासंगिक संशोधन करके स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

   मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सेवा कर के मौजूदा नियम में कोई संशोधन एक अर्थहीन प्रयास होगा क्योंकि ''माल और सेवा कर'' (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से आरंभ होना है और यद्यपि भविष्य में अनुपालना के लिए सिफारिशों को नोट कर लिया गया था।

   चूंकि ये सिफारिशें जीएसटी व्यवस्था में भी प्रासंगिक है, अत: लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों को नये विधान में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी की जीएसटी पॉलिसी विंग द्वारा जांच की जानी चाहिए।

4. विभाग को विशेष सैल सक्रिय करने और फाइलरों के रिकार्ड से विवरण के साथ साथ तीसरे पक्ष के डाटा के प्रयोग के लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है ताकि संभावित अपंजीकृत तथा चूककर्त्ताओं की पहचान की जा सके।

5. बोर्ड प्रक्रिया के स्वचालन और रिटर्न फाइल न करने/देरी से रिटर्न फाइल करने पर शास्ति/विलम्बित शुल्क के उदग्रहण के लिए नोटिस जारी करने पर विचार करे।

6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने कि पहले से उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से उपयोग किया गया है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है और क्षेत्र विशिष्ट डाटा सेटो की पहचान करे और उसे कर 360 कार्यक्रम से संम्बद्ध भी करे।

7. बोर्ड प्रणाली को संशोधित करने पर विचार करे जिसके माध्यम से एसीईएस में प्रांरभिक संवीक्षा के लिए स्वचालित जांच सूचियां ली जाती है।

उपरोक्त सिफारिश संख्या 4 से 7 के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन के अंतर्गत उपरोक्त प्रावधानों को सीजीएसटी कानून के अनुसार शामिल किया जा रहा है और जीएसटीएन पोर्टल नामक सामान्य पोर्टल द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

मंत्रालय से सीबीईसी-जीएसटी एप्लिकेशन के विशेष विवरण साझा करने का अनुरोध किया गया था जो लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा करेगा और विवरण प्रतीक्षित हैं (जून 2017)।